of Indians have been deported from UAE to India for overstaying or for staying without valid travel documents. The deportation has taken place by sea and by air. According to figures given by Dubai Authorities the number of Indian nationals who have been deported since the begining of this year is as follows:—

s. No.	Month	Indian Nationals Deported
1.	January	962
2.	February	641
3.	March	733
4.	April	959
5.	May	899
6.	June	874

(b) and (c) Complaints have been received, from time to time, from victims of unscrupulous agents. As and when complaints are received against Recruiting Agents, these are enquired into with the help of Police and the concerned Indian Missions abroad depending upon the nature of complaints. Necessary action is also taken by Indian Missions abroad for redressal of the grievances of the Indian nationals by intervening with the local authorities on a case by case basis.

Improvement of National Highways la Karnataka

438. SHRI JANARDHANA POOJARY: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether Government have formulated any scheme for improvement of nationai highways in Karnataka; and

(b) if so, the details of such highways where the work is to be undertaken during the current year?

THE MINISTER OF SURFACE TRANSPORT (SHRI T. G. VENKATRAMAN): (a) and (b) Development of National Highways, including those in Karnataka, is a continuous process. Besides, continuing works a large number of new road and bridge projects have been included for sanction in the current Plan in the State of Karnatka.

Facilities to civilians working in defence department

439. SHRI O. P. KOHLI: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether the civilians working in the Defemcc Headquarters are a part and parcel of the Defence management and are paid salaries out of the defence Services Estimates;

(b) if so, the reasons for discriminating the civilians in the benefits enjoyed by the service personnel including canteen facilities after retirement; and

(c) the steps taken or proposed to be taken to remove the discriminations?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (SHRI N.V.N. SOMU) (a) Yes, Sir.

(d) The terms and conditions of service of Armed Forces personnel and those of civilians working in Defence Headquarters are entirely different.

(c) In view of (b) above, question does not arise.

रक्षा बजट में वृद्धि

440. श्रीमती धारसभा शर्मा: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 जून 1996 के "नवभारत टाइम्स" में "पाकिस्तान का रक्षा खर्च 16 अरब रुपये बढ़ेगा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार सामान्य बजट में रक्षा मंत्रालय के लिये बजटीय आवंटन की राशि में वृद्धि करेगी;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में अन्तिम निर्णय ले लिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) रक्षा मंत्रालय धन की आवश्यकता का आकलन पूर्वानुमानित, अनिवार्य और संविदा चुगतानों, नियमित और आवर्ती व्यय तथा रक्षा सेनाओं के आगे चलते रहने वाले आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत नई योजनाओं के आधार पर सेना मुख्यालयों के परामर्श से करता है। विद्यमान सुरक्षा परिवेश और खतरे की वर्तमान संभावनाओं को भी ध्यान में रखा जाता है।

रक्षा मंत्रालय धन की आवश्यकता वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करता है जो समस्त राष्ट्रीय संसाधनों की उपलब्धता, राष्ट्रीय सुरक्षा और विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, वर्ष के लिए वास्तविक आवंटन के संबंध में निर्णय लेता है।

रक्षा संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशें

441. श्री वेद प्रकाश पी० गोयल: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा संबंधी स्थायी समिति ने बजट आवंटन में की गई कटौती पर चिंता व्यक्त की है जिससे सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण, शस्त्र प्रणालियों के उन्नयन, आक्रमणात्मक क्षमताओं में गुणात्मक सुधार करने के लिए नई शस्त्र प्रणालियों हेतु चरणबद्ध अधिष्ठापन कार्यक्रम तैयार करने और पड़ोसी देशों सशस्त्र सेनाओं का तेजी से आधुनिकीकरण किये जाने से उत्पन्न हुए खतरे को देखते हुए सामरिक प्रभावकारिता को बनाए रखने में बाधा पहुंची है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एन०वी०एन० सोमू): (क) से (ख) रक्षा मंत्रालय की स्थायी समिति ने अपनी छठी रिपोर्ट (1995-96) में कहा है कि "बजटीय आवंटन में कमी करने से भारतीय सशस्त्र सेनाओं का आधुनिकीकरण करने में बाधा आई है"।

स्थायी समिति ने यह भी इच्छा व्यक्त की थी कि सरकार को सेनाओं की आक्रामक क्षमताओं में गुणात्मक सुधार लाने और उनकी युद्धक प्रभावकारिता बनाए रखने के लिए नई शस्त्र प्रणालियों, हथियारों और पैंतों को चरणबद्ध रूप से शामिल किए जाने का कार्यक्रम बनाते हुए शस्त्र प्रणालियां के आधुनिकीकरण और उन्नयन को प्राथमिकता दी जाए।

रक्षा मंत्रालय, सैना मुख्यालयों से परामर्श करके धन की आवश्यकताओं का आकलन करता है जिसमें रक्षा सेनाओं के आधुनिकीकरण के कार्यक्रम के अंतर्गत आगे चलते रहने वाली और नई योजनाओं पर होने वाला पूर्वानुमानित व्यय भी शामिल होता है। रक्षा मंत्रालय बजटीय सहायता की आवश्यकताएं वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करता है, जो समस्त राष्ट्रीय संसाधनों की उपलब्धता, राष्ट्रीय सुरक्षा और विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए' वर्ष के लिए वास्तविक आबंटन के संबंध में निर्णय लेता है।

सरकार, सशस्त्र सेनाओं के उपस्करों और शस्त्र प्रणालियों के आधुनिकीकरण, उन्हें अद्यतन बनाए जाने और उनका दर्जा बढ़ाए जाने की आवश्यकता के प्रति सजग है। परिणामस्वरूप उपस्करों तथा अस्त्र-शस्त्रों के आधुनिकीकरण कार्यक्रम और सेनाओं की क्षमताओं का उन्नयन करने के कार्य को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जाती है।

12.00 NOON

PAPARS LAID ON THE TABLE

I. Corrigendum to the Economic Survey, 1995-96.

II. Finance Accounts and Appropriation Accounts (1994-95) of the Government of Jammu and Kashmir.

III. Report (1994-95) of the Comptroller and Auditor General of India (Govt. of Jammu and Kashmir)

IV. Reports (1994-95) of the Comptroller and Auditor General of India and Appropriation and Finance Accounts (1994-95)

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF COMPANY AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM) Sir, I lay on the Table—

I. A copy (in English and Hindi) of the Corrigendum to the Economic Survey, 1995-96. [Placed in Library *See* No. L.T. 11696]

II. A copy each (in English and Hindi) of the following papers, under clause (c) (iv) of the Proclamation dated the 18th July, 1990 issued by the President in relation to the State of Jammu & Kashmir:—

(i) Finance Accounts of the Government of Jammu and Kashmir for the